भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *236

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में गरीबी उन्मूलन में वीबी-जी राम-जी की भूमिका

***236. श्री गिरिधारी यादव:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है जहां ग्रामीण गरीबी की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) उक्त राज्य में गरीबी उपशमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार के वर्तमान प्रतिशत हिस्से से बिहार जैसे गरीब राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी की स्थिति के दृष्टिगत उक्त मिशन के अंतर्गत राज्य के हिस्से को दस प्रतिशत के पूर्व स्तर पर लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और ग्रामीण कामगारों को पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए बिहार के लिए विशेष छूट/अनुपात प्रदान करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 04.08.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *236 के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी एक मांग-आधारित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के सांविधिक मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान कर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ सामुदायिक एवं आजीविका परिसंपत्तियों का सृजन करना है जबकि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत यह अवधि 100 दिन की थी। यह कार्यक्रम जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमी घटनाओं की रोकथाम से संबंधित कार्यों के माध्यम से सतत आजीविका को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, जिससे बिहार राज्य सहित गरीबी उन्मूलन में योगदान मिलता है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों की विविध विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कई संरचनात्मक सुधार शामिल किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ विकास मानकों के आधार पर राज्यों के बीच संसाधनों के समतापूर्ण संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए निधियों के मानक आधारित आवंटन की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत मानक आवंटन को राज्य के भीतर जिलों एवं ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण तथा उनकी आकलित अवसंरचना एवं विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समतापूर्ण, आवश्यकता-आधारित एवं पारदर्शी तरीके से संवितरित किया जाना अपेक्षित है।

मानक आवंटन नियमों से संबंधित नियमों एवं उपनियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार राज्य को 6,716 करोड़ रुपये का अंतरिम केंद्रीय आवंटन किया गया है। राज्य के समतुल्य अंश को सम्मिलित करने के पश्चात, वित्त वर्ष 2026-27 की 9 माह की अवधि (01.07.2026 से 31.03.2027) के लिए राज्य हेतु कार्यक्रम का कुल परिव्यय 11,193 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इसके बाद, राज्य से मिले प्रस्ताव के आधार पर, अलग-अलग हिस्सों के तहत पहली किश्त के तौर पर राज्य को 1663.56 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृतियां जारी की गई है।

इस कार्यक्रम में साक्ष्य-आधारित, सहभागितापूर्ण एवं संपृक्ति-आधारित नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (वीजीपीपी) की तैयारी का भी प्रावधान है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्यों का चयन स्थानीय प्राथमिकताओं एवं विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। इसके अतिरिक्त, श्रेणी-III - आजीविका-संबंधी अवसंरचना कार्य, कृषि, संबद्ध क्षेत्रों, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण उद्यमों तथा अन्य आय-

सृजन गतिविधियों से संबंधित टिकाऊ आजीविका परिसंपत्तियों के सृजन पर केंद्रित है, जिससे सतत आजीविका को बढ़ावा मिलता है तथा ग्रामीण गरीबी में कमी आती है।

(ग) से (ङ): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित वित्तपोषण पद्धति का उद्देश्य सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना तथा विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। अधिनियम के अंतर्गत, कार्यक्रम की लागत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों तथा विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है। यह वित्तपोषण पद्धति केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर लागू ढांचे के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में राज्य के स्वामित्व, जवाबदेही एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है।

यह अधिनियम प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों एवं अन्य असाधारण परिस्थितियों में कार्य करने हेतु पर्याप्त लचीलापन भी प्रदान करता है। ऐसी स्थितियों में, राज्य सरकार केंद्र सरकार को उपयुक्त परिचालनात्मक छूट की सिफारिश कर सकती है, जिसके माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय कार्यों के विस्तार, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं में छूट तथा रोजगार में अस्थायी वृद्धि सहित उपयुक्त उपायों की अनुमति दी जा सकती है।

केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिहार सहित सभी राज्यों को सभी आवश्यक वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।